रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 1970/ज्येष्ठ 7, 1892
No. 99] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 1970/JYAISTHA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 28th May 1970

G.S.R. 862—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173A of the Central Excise Rules, 1944, and in continuation of the notification to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 1482, dated the 21st June, 1969, the Central Government hereby specifies the following further excisable goods as excisable goods to which the provisions of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely:—

The goods comprised in Item Nos. 1C, 1D, 1E, 14AA, 16AA, 33D, 44, 45, 46, 47 and 48 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

2. This notification shall come into force on the 1st June, 1970.

[No. 121/70.]

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 28 मई, 1970

सा० का० नि० 862.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173—क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1482, तारीख 21 जून, 1969 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अपर उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को एतद्द्वारा ऐसे उत्पाद्-शुल्क—योग्य माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त नियम के भाग 7—क के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् —

केन्द्रीय उत्पाद्-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्याओं 1—ग, 1—घ, 1—ङ०, 14—कक, 16—कक, 33—घ, 44, 45, 46, 47 और 48 में सभाविष्ट माल ।

यह अधिसूचना पहली जून, 1970 को प्रवृत्त हो जाएगी ।

[सं 121/70.]

एस० पी० कम्पानी, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI, 1970